Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **भगवाना**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र** नं0 **013** सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा का चिंतन–मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा मूल प्रार्थना पत्र 223/2021 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 22.09.2021 के अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षीगण को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है, किन्तु मूल प्रार्थना पत्र 223/2021 (रे.वि.) के अप्रार्थी संख्या 1 भगवाना पिता घासी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि रूपये 12,61,449/– अक्षरे बारह लाख ईकसठ हजार चार सौ उनपचास रूपये मात्र के चैक प्राप्त नहीं किया गया एवं बावजूद सूचना के अप्रार्थी इस न्यायालय में उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 223/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम भगवाना वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 22.09.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 25,22,898/– अक्षरे पच्चीस लाख बाईस हजार आठ सौ अठानवे रूपये मात्र मुआवजा राशि में से मूल प्रार्थना पत्र 223/2021 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 22.09.2021 के अप्रार्थी संख्या 1 भगवाना पिता घासी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि रूपये 12,61,449/– अक्षरे बारह लाख ईकसठ हजार चार सौ उनपचास	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रूपये मात्र का चैक अप्रार्थी भगवाना पिता घासी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/244 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त चैक जो कि विपक्षी भगवान लाल बुनकर के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों। -S/d- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 04.05.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official